## सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी के संबंध में ।

- आवेदनः— सर्वप्रथम आवेदक संबंधित विभाग के लोकसूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा(1)के तहत निर्धारित प्रारूप में अथवा सादे कागज पर अपने स्वयं के नाम पते तथा चाही गई जानकारी(मांगी गई सूचना की विशिष्टिया विनिर्दिष्ट करते हुए) के विविरण के साथ निर्धारित फीस 10/— का नान ज्यूडिशयल स्टाम्प /पोस्टल आर्डर अथवा नगद राशि जमा कर आवेदन प्रस्तुत करेगा । गरीबी रेखा के निचे जिवन यापन करने वाले आवेदक का ओदन फीस से मुक्त रखा गया है। इस हेतु आवेदक को गरीबी रेखा राशन कार्ड की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी ।
- आवेदन का निपटारा:—संबधित लोकसूचना अधिकारी आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी को निर्धारित समय 30 दिवस में उपलब्ध करायेगा । जहां जानकारी नागरिक के जीवन मूल्यों से संबंधित जानकारी चाही जाने पर 48 घंटे मे उपलब्ध कराई जावेगी । आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी का संबंध किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है या जिसकी विषयवस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी से संबधित है वहाँ आवेदन संबंधित लोक प्राधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा(1) के तहत निर्धारित समयाविध 05 दिवस में अंतरित करेगा और इसकी सूचना आवेदक को भी देगा एसी स्थिति में जानकारी निर्धारित समयसीमा 35 दिवस में उपलब्ध करायेगा ।

उदाहरण:— आवेदक द्वारा कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में जानकारी चाही जाती है। आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी आयुक्त नगर पालिका निगम देवास से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा(1) के तहत निर्धारित समयाविध 05 दिवस में अंतरित कर आवेदक को सूचित किया जावेगा।

- फीस धारा –07 की उपधारा (1) के तहत लोक सूचना अधिकारी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु फीस जो नगद के रूप में अथवा /मॉग देय ड्राफ्ट /बैंकर चैक अथवा विभाग के निर्धारित मद में चालान जमा कर आवेदक को उपलब्ध करायेगा।
- तैयार किए गये या प्रतिलिपि किए गये प्रत्यके पृष्ठ(ए—4, ए—3) के लिये 02/—रू प्रति पृष्ठ या संबंधित लोकप्राधिकारी द्वारा उस प्रतिलिपि के लिये शासन द्वारा काई शुल्क निर्धारित किया गया है वो ।
- अगर बड़े आकार की प्रतिलिपि है, नमूने या माडल तो उस प्रतिलिपि को तैयार करने की वास्तविक लागत ।
- अभिलेख अवलोकन हेतु प्रत्येक पहले घंटे के लिये कोई फीस नही उसके बाद प्रत्येक घंटे के लिये पाँच रूपये।
- डिस्क, फ्लापी के लिये प्रति डिस्क फ्लापी 50 रूपये,
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं धारा 11 मे निहित प्रावधानों के तहत सूचना प्रकट किये जाने से छूट प्रदान की गई है ।
- निर्धारित समयावधि 30 दिवस बाद जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो आवेदक को जानकारी निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी ।
- प्रश्नवाचक जानकारी तथा जानकारी को तैयार कर दिये जाने के प्रावधान नहीं है। कार्यालय में संधारित जानकारी ही प्रदाय की जावेगी ।
- किसी भी तृतीय पक्ष के संबंध में सूचना चाही गई है तो तृतीय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना होगा । साथ ही व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में संबंधित की अनुमती ली जाना आवश्यक है ।

- प्रथम अपील :—आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी निर्धारित समय में आवेदक को उपलबंध नहीं कराई जाती तो ओवदक लोकप्राधिकारी के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत अपील आवेदन निर्धारित शुल्क 50/— का नान ज्यूडिशयल स्टाम्प /पोस्टल आर्डर अथवा नगद राशि जमा कर प्रस्तुत करेगा ।
- द्वितिय अपील निर्णय से संतुष्ट न होने पर आवेदक द्वितिय अपील राज्य लोकसूचना आयोग के समक्ष तथ्यों के साथ प्रस्तुत की जावेगी ।

## प्रारूप-एक

	सूचना के अधिकार अधिनियम 200	05 की धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र
1.	आवेदक का नाम —	
2.	पुरा पता	
3.	दुरभाष क्रमांक –	
4.	आवेदन देने का दिनांक —	
5.	कार्यालय का नाम -	
6.	चाही गई जानकारी —	
7.	क्या चाहते है <u>नकल / निरिक्षण</u> रिकार्ड <u>निरिक्षण / रिकार्ड</u> की	
8.	प्रमाणित <u>प्रति / प्रमाणित</u> नमुना आवेदक के साथ अदा किये	
O.	जाने वाले प्रोसेसिंग फीस रू 10/- नगद रसीद क्रमांक	
	एवं दिनांकए	
9.	अथवा स्टाम्प क्या आवेदक गरीबी की रेखा के अथवा नही–हॉं / नही यदि हॉं त	
	की सूचि का अनुक्रमांक	

	<u>ч</u> і	वता	
1.	आवेदन प्राप्त होने का दिनांक	:	
2.	आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी	:	
•	प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक		
3.	संबंधित शाखा/अधिकारी जहाँ	:	
	से जानकारी उपलब्ध होगी		

(लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोंक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

दिनांक

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत (पद नाम रबर सील)

आवेदन का अवे

प्रारूप – एक – दो (नियम-३ (१) देखिए)



## सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

प्रवक्रवः	/देवास/म0प्र0
-----------	---------------

पंजीयन क्रमांक.....

प्रति.

लोक सूचना अधिकारी क्रिक्टर् क्षामितिय क्वास तहसील कार्यालय देवास

1. आवेदक का नाम

: जगदीश सैनी

पूर्ण पता जिस पर जानकारी प्रिषत की जानी है: 8-42, चिनार पार्क महू गांव महू

3. दूरभाष क्रमांक

: 9303236766

4. आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक

: 9 दिसंबर 2020

5. चाही गई जानकारी का विवरण

: विवरण निम्नान्सार है

(1) दिनांक 25 नवंबर को कबीर आश्रम चूनाखदान तथा ग्राम जामगोद गौशाला अतिक्रमण हटाने की की गई कार्यवाही से संबंधित संपूर्ण नस्ति

6. क्या चाहते हैं नकल/ अभिलेख का निरीक्षण : विकार्ड की प्रमाणित प्रति

7. आवेदन के साथ संदत्त प्रोसेस फीस

: 10/- रूपए स्टांप

8. क्या आवेदक भरीबी रेखा के नीचे हैं

: नहीं

पास्टल आडर् इ० SDF 83/089 संस्टान र्मिश्न -



क्रमांक 47% /सू०के० अ०/२०२०

देवास दिनांक 🛛 🕫 🕮 🕮

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आवेदन पत्र संबंधित विभाग को अंतरित करने संबंधी पत्र द्वारा :- कार्यालय कलेक्टर जिला देवास (म0प्र0) प्रति,

- आय्रत ना पालिका निगम देवाप (४०४०)
- (अ०४०) तहलील देवाल (अ०४०)

विषय - गाम जामगाद गोशाला अतिक्रमण हराने वास्त्

सूचना का अधिकर अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत

श्री जगदीश स्तेनी महुगांप

से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक <u>9 1212020</u> को प्राप्त हुआ परीक्षण उपरांत वस्तुस्थिति आपके विभाग से संबंधित होने के कारण निर्धारित समयावधि (पाँच कार्य दिवस) में आपकी ओर आवशयक कार्यवहीं हेतु अंतरित किया जा रहा है।

संलग्न - मूल आवेदन

सहायक लोक सूचना अधिकारी ेकार्यालय कलेक्टर जिला देवास (म0प्र0) देवास दिनांक | o / L-/2020

पृ.क्रमांक/ /सू0के0310/2020

प्रतिलिपि-

श्री जादीया स्तेनी 13-42 न्यनार पाक महु गांव महु

को सूचित किया जाता है कि आपके द्वरा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक — कार्यालय/विभाग अग्रिवल नार मिग्रेम देवाल अगेर लिस्सी लदा देवालसे संबंधित हाने के कारण दिनांक को कार्यालय/विभाग СМ ८ देवाल / तस्वी ट्वर ८ देवाल -------को अंतरित कर दिया गया है।

ेअतः कृपया आगामी कार्यवाही हेतु उक्त कार्याल्य/ विभाग <u>CMC पिर्धारिय</u> से सम्पर्क करने का कष्ट करे ।े

सहायक लोक सूचमा अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जिला देवास (म0प्र0) XX (a) A-7 Subsidiary Rule 19 and 22 under Treasury Rule 10 CHALLAN OF MONEY PAID IN TO THE ......TREASURY To be present at the treasury Single or Duplicate of Triplicate as case may be (खजाने में इसकी एक या दो तीन नकल जैसा कायदा हो पेश करना चाहिए)

(অসা	न म इसायग	पुष्पाचा पारागा विस्ता विस्ता			164)
ेy whome brought कौन लाया		On what account किस बाबद		words अन्दर	Amount Rs. P.
विकास नागर ११० भगरे सिट भागे देवास		अवना का अधिकार अ तहर जानकार	(E)	under rupees in words किताने रूपये के अन्दर	4401
		व्यावर		TOTAL मीजान	440)
Head of revenue -उप शो Major head		गाष 0070 प्रशासनिक से <b>वाएँ</b> वर्ष 60-अन्य से <b>वाएँ</b> गिष-800-अन्य गं (10)	No Ca	tail तफसील- ntes नोट- sh नगदी- tal <del>गीजान</del>	
has been e register of the late 29 ( ) 20	nterd the Head of Divining Terms of the Divining Terms of the Head	unt shown above e departmental f Revence deposit epartmental Officer EASURY ONLY (खज		Signature of दाखिल करने वा	लों के हस्त्राक्षर
examined -		RECEIVED		The control of the co	ntered No.
nitals of	11 1	In figures)	Marie Constitution of the	TU Zori K	GNATURE OF SOCIETY OF
	7.2	TREASURY OF	3-		472°